

अनुमति की शर्तें ।

- (1) जमा भाग/पुस्तक के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक राजकीय व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भाग निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त ही जा सकती है ।
- (5) **5 फरवरी** जमा करवाने की समस्त प्रक्रिया आवेदक के सोनी

एकल, खेड़की केवल, आवासीय त्रयोपनायि
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 933 दिनांक 19/03/2021

प्रार्थी श्रीमती बल्लभ कौर पुरोहित पत्नी श्री सुरेंद्र कुमार पुरोहित

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भाग निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 31131/- पत्र

जारीये रसीद संख्या 3069/2057-2058

दिनांक 19/03/2021 को जमा करा दी है ।

P.No: 05 खसरा संख्या 109/10 स्व

112/01 ग्राम - तुषबा भेड़ी की वार्ड

19/3/2021

महायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

Signature